संख्या-20/2015/611 ई-2/तेरह-2015-34/2012

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल,2015

विषय:- अल्कोहल वर्ष 2014-15 में अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-50/नौ-2014-15/अ0नि0/714/देश के बाहर, दिनांक 11 मार्च,2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11 मार्च, 2015 में की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2014-15 में (1) मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि0, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी को 50,00,000(पचास लाख) ब0ली0 रेक्टीफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल, (2) मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि0, खम्भारखेडा, जनपद लखीमपुर खीरी को 77,00,000(सतहत्तर लाख) ब0ली रेक्टीफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल, (3) मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि0, गांगनौली, जनपद सहारनपुर को 77,00,000(सतहत्तर लाख) ब0ली0 रेक्टीफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं (4) मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि0, किनौनी, जनपद मेरठ को 71,00,000(इकहत्तर लाख) ब0ली0 रेक्टीफाइड स्प्रिट/ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने हेतु शासन की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त निर्यात की अनुमति अल्कोहल वर्ष 2014-15 में इकाईयों की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत ही होगी।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://jansamadhan.up.nic.in/govtintra